जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर

ए.बी.ए. नंबर 285/2026

शामपुर थाना कांड संख्या 08/2026

संदीप उर्फ गैड़ा उर्फ रामवलेश बिंद बनाम बिहार राज्य।

16.04.2026

आवेदक **संदीप उर्फ गैड़ा उर्फ रामवलेश बिंद** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता रामसागर मंडल के द्वारा संचालित किया गया। **अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक इसके अतिरिक्त अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन के पैरा 3 के अनुसार आवेदक के विरुद्ध इस वाद के अलावा एक अन्य वाद शामपुर थाना कांड सं0 151/2025 दर्ज है।**

उभय पक्षों को सुना।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक कालेश्वर सोरेन के लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 14.04.2026 को 09:30 बजे सूचक अन्य लोगों के साथ चाय पी रहा था, तभी संदीप उर्फ गेड़ा तथा एक अन्य सूचक के साथ गाली—गलौज तथा मारपीट करने लगे, तब लोगों ने झगड़ा शांत कराया। सूचक ने इसकी सूचना अपने घर दी। सूचक के घर जाने के क्रम में दोनों देशी पिस्टल दिखाकर बोले कि जान से मार देंगे, तब तक सूचक के घर वाले आ गये। ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को पकड़ा गया तथा पिस्टल छीन लिया। दोनों चकमा देकर भाग गए। सूचक ने आवेदन के साथ पिस्टल पुलिस को सुपुर्द किया। सूचक के आवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 126(2), 115(2), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस एवं धारा 25(1—बी)ए शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए है कि आवेदक निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है और उन्हें इस केस में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के पास से कोई भी हथियार नहीं पकड़ा गया है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक मजदूरी करता है। आवेदक बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। आवेदक पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सूचक को पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। आवेदक के पास से पुलिस ने कोई सामग्री जप्त नहीं की है, जबकि ग्रामीणों के द्वारा आवेदक को पकड़कर पिस्टल बरामद करने की बात कही गयी है। सूचक के द्वारा ही पिस्टल को पुलिस को सुपुर्द किया गया है। आवेदक बंधपत्र दाखिल करने को

लगातार

16.04.2026. तैयार है। ऐसी परिस्थिति में धारा 37 शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक **संदीप उर्फ गैड़ा उर्फ रामवलेश बिंद** के तरफ से **पांच हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा **आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर** विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :

1. **आवेदक के दो जमानतदार ग्रामीण होंगे।**
2. **आवेदक आरोप गठन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।**

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 16.04.2026.

प्रतिलिपिः– विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति भेजी जाती है।

लेखापित

(राकेश कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
दिनांक 16.04.2026.